संसद के समक्ष अभिभाषण – 16 मई 1952

लोक सभा	-	पहली लोक सभा
सत्र	-	पहले आम चुनाव के पश्चात् पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
भारत के उपराष्ट्रपति	-	डॉ. एस. राधाकृष्णन
भारत के प्रधानमंत्री	-	पंडित जवाहरलाल नेहरु
लोक सभा अध्यक्ष	-	श्री जी.वी. मावलंकर

माननीय सदस्यगण,

मैं आज यहां हमारे संविधान के अन्तर्गत निर्वाचित भारत गणतंत्र की पहली संसद के सदस्यों के रूप में आपका स्वागत करता हूं। हमने विधानमंडलों के गठन तथा राज्यों के नेतृत्व से संबंधित संविधान के सभी उपबंधों को अब पूरी तरह लागू कर दिया है और इस तरह अपनी यात्रा का एक चरण पूरा कर लिया है। चूंकि हमने वह चरण पूरा कर लिया है, इसलिए हम दूसरे चरण की शुरुआत कर रहे हैं। आगे बढ़ते समय किसी राष्ट्र या व्यक्ति के लिए कोई विश्रामस्थल नहीं होता है आप, हमारे 1700 लाख से भी अधिक लोगों द्वारा नवनिर्वाचित संसद सदस्य इसके यात्री हैं, तथा आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।

इस ऐतिहासिक अवसर पर आपको सम्बोधित करते हुए मुझे अपनी प्राचीन भूमि तथा यहां विशाल संख्या में रहने वाले स्त्रियों तथा पुरुषों के श्रेष्ठ भाग्य का ध्यान आ रहा है। नियति हमारा आह्वान कर रही है और इसका उत्तर हमें ही देना है। जिसने पहले हजारों सालों के इतिहास के आरम्भ से अब तक सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों ही देखे हैं। इन अनेक वर्षों में हमारी भूमि महान बनी है तथा हमारे भाग्य में दुख भी आए हैं। अब जबकि हम भारत की लम्बी कहानी के दूसरे चरण की दहलीज पर खड़े हैं, हमें नए सिरे से यह निश्चय करना है कि उसकी किस प्रकार सर्वोत्तम सेवा की जाए। आपने और मैंने अपने इस देश की सेवा करने की शपथ ली है। हम अपने इस वचन के प्रति सच्चे रहें तथा इसको पूरा करने के लिए अपना हर सम्भव प्रयास करें, यही हमारी प्रार्थना है।

भारत ने लम्बी गुलामी के पश्चात् स्वतंत्रता प्राप्त की है। इस स्वतंत्रता को हर कीमत पर बनाए रखना है, उसकी रक्षा करना है तथा उसका विस्तार करना है क्योंकि केवल इसी स्वतंत्रता के आधार पर ही प्रगति का कोई ढांचा खड़ा किया जा सकता है। परन्तु अकेले स्वतंत्रता ही काफी नहीं है—इससे हमारे लोगों को खुशहाली प्राप्त होनी चाहिए तथा वह बोझ कम होने चाहिएं जिनसे वे पीड़ित हैं। इसलिए हमारे लिए यह अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गया है कि हम अपने लोगों की तेज आर्थिक प्रगति के लिए परिश्रम करें तथा समानता और सामाजिक एवं आर्थिक न्याय के उच्च आदर्शों को प्राप्त करने का प्रयत्न करें, जो हमारे संविधान में दिए गए हैं।

भारत ने अपने इतिहास के दौरान कुछ अन्य मानवीय प्रेरणाओं का भी प्रतिनिधित्व किया है। शायद यह भारत का विशिष्ट लक्षण है, तथा हाल के वर्षों में भी हमने भारत की उस महान भावना तथा प्रेरणा का उत्कृष्ट उदाहरण महात्मा गांधी के रूप में देखा है, जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई। उनके लिए, राजनीतिक स्वतंत्रता एक अत्यावश्यक कदम था, परन्तु मानव जाति की सम्पूर्ण स्वतंत्रता की दिशा में यह एक छोटा-सा कदम ही था। उन्होंने हमें शान्ति तथा अहिंसा का पाठ पढ़ाया, परन्तु कब्र की शांति या कायर की अहिंसा का नहीं और भारत के प्राचीन ऋषियों तथा महान व्यक्तियों की ही तरह उन्होंने हमें पढ़ाया कि महान उद्देश्यों की प्राप्ति घृणा तथा हिंसा से नहीं होती है, कि सही उद्देश्यों को केवल सही साधनों के द्वारा ही प्राप्त किया जाना चाहिए। यह मूलभूत सीख सिर्फ हम भारत के लोगों के लिए ही नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा कि सम्पूर्ण संसार के लोगों के लिए है।

मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सामने जो महान कार्य हैं, उनको करने में आप भारत के इस प्राचीन परन्तु, सर्वदा नवीन संदेश को याद रखेंगे तथा राष्ट्र तथा मानवता के हित को अन्य छोटे उद्देश्यों से ऊपर रखते हुए सामूहिक प्रयास की भावना से कार्य करेंगे। हमें भारत की एकता का निर्माण करना है हमें स्वतंत्र लोगों की एकता का निर्माण करना है, जो श्रेष्ठ नियति को प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहे हैं जो उनका इंतजार कर रही हैं। इसलिए हमें उन सभी प्रवृत्तियों को खत्म करना होगा जो उस एकता को कमजोर बनाती हैं और हमारे बीच की उन बाधाओं जैसे सम्प्रदायवाद की बाधाओं, प्रान्तीयता या जातिवाद की बाधाओं को दूर करना होगा। अनेक राजनीतिक तथा आर्थिक मामलों में आप लोगों की राय भिन्न-भिन्न होगी और यह भिन्न होनी भी चाहिए, परन्तु यदि भारत तथा इसके लोगों की भलाई हमारा मुख्य उद्देश्य है तथा हम यह अनुभव करते हैं, जो कि हमें करना ही चाहिए कि यह भलाई शांतिपूर्ण सहयोग तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा ही की जा सकती है, तो इस भिन्नता से हमारे आम जीवन की समृद्धता में वृद्धि ही हो सकती है।

मैं आपसे अनुरोध करता हूं इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर ही आप इस देश की समस्याओं का सामना करें तथा विश्व का सामना मित्रतापूर्ण दृष्टि से तथा निडर

होकर करें। आज का डर, किसी सम्भावित अनिष्ट का डर, विश्व को पीछे ढकेल देता है। कोई भी व्यक्ति या राष्ट्र, डर के द्वारा प्रगति नहीं करता है बल्कि निडरता, या जैसा कि हमारी प्राचीन पुस्तकें कहती हैं, "अभय" के द्वारा आगे बढ़ता है।

हमने विश्व के सभी देशों के साथ मित्रता की नीति का निरन्तर पालन किया है और यद्यपि कभी-कभी इसका गलत अर्थ लगाया गया, इस नीति की दूसरों द्वारा निरन्तर प्रशंसा की गई है तथा इसके अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। मुझे विश्वास है कि हम उस नीति को दृढ़तापूर्वक जारी रखेंगे और इस प्रकार विश्व के अनेक हिस्सों में विद्यमान तनाव को कुछ हद तक कम करने का प्रयास करेंगे। मेरी सरकार ने दूसरे देशों में दखल पसन्द नहीं किया। उसी प्रकार यह दूसरे देशों से अपने देश में दखल पसन्द नहीं करती है। हमने जहां भी सम्भव हुआ, सहयोग के तरीके को अपनाया है तथा शांति के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार हैं। हमारी उन्हें किसी पर थोपने की इच्छा नहीं है। तथापि हमें यह महसूस होता है कि विश्व में कोई भी देश अलग हटकर नहीं रह सकता है, कि यह अपरिहार्य है कि अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तब तक बढ़ता रहे जब तक कि आने वाले समय में विश्व के सभी देश मानवता की उन्नति के लिए एक महान सहयोगी प्रयास में शामिल न हो जाएं।

लगभग एक वर्ष से कोरिया में युद्ध-विराम के लिए कोई रास्ता निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं जिससे उन अनेक समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान निकाला जा सके जो एशिया के सुदूरपूर्व को ग्रसित किए हुए हैं। मैंने कई अवसरों पर यह आशा व्यक्त की है कि इन प्रयासों में सफलता प्राप्त होगी तथा दोबारा शान्ति स्थापित की जा सकेगी। यह सबसे बड़ी त्रासदी है कि कोरियाई लोगों के लिए सदिच्छा के दावों के बावजूद यह देश युद्ध, भुखमरी और महामारी के कारण पूर्णतया नष्ट होने के कगार पर है। इस युद्ध के लिए इस समय तत्काल चाहे जो स्पष्टीकरण दे दिया जाए, विश्व को यह एक संकेत है तथा एक चेतावनी है कि युद्ध के क्या मायने होते हैं। युद्ध से समस्याएं हल नहीं होती हैं बल्कि उत्पन्न होती हैं। कोरिया में अब ऐसा प्रतीत होता है कि युद्ध-विराम के मार्ग की बहुत-सी बाधाओं पर काबू पा लिया गया है और युद्धबंदियों की अदला-बदली की एक मुख्य समस्या ही शेष रह गई है। इस अंतिम बाधा को हल करना राजनीतिज्ञों के लिए मुश्किल बात नहीं होनी चाहिए। ऐसा न कर पाने का अर्थ न सिर्फ विवेक की हार होगी बल्कि यह मानवता की हार भी होगी। विश्व शांति का भूखा है और जो राजनीतिज्ञ शांति स्थापित करते हैं वे उस विशाल तथा भयकारक बोझ को हटाएंगे जो समस्त विश्व के लाखों लोगों के दिमाग पर छाया हुआ है।

पिछले अवसरों पर मैंने एशिया तथा अफ्रीका के उन भागों में उठ रही तीव्र राष्ट्रवादी लहर का उल्लेख किया है जिनको अभी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई है। विशेष रूप से मैंने हाल ही में ट्यूनीशिया की घटनाओं का जिक्र किया था और उस भू-भाग

पर रह रहे लोगों की स्वतंत्रता प्राप्ति की इच्छा के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की थी। मैं इस बात पर खेद व्यक्त करता हूं कि एशिया और अफ्रीका में अनेक देशों की इच्छा के बावजूद भी इस विषय पर संयुक्त राष्ट्र में चर्चा करने की अनुमति नहीं दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व समुदाय जिसमें सभी शामिल हैं, का प्रतिनिधित्व करने के लिए हैं और इसका मूल उद्देश्य शांति को बनाये रखना था। धीरे-धीरे संयुक्त राष्ट्र के संस्थापकों के महान उद्देश्यों और वह चार्टर जो उन्होंने तैयार किया था, धुंधले होते जा रहे हैं। बृहद दृष्टिकोण का स्थान संकीर्ण दृष्टिकोण ने ले लिया। विश्वव्यापी अस्तित्व की अवधारणा बदलकर और संकीर्ण हो गई और शांति के लिए किये जाने वाले आग्रह कमजोर पड़ गये। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना मानवता की अत्यधिक आवश्यकता को पूरा करने में असफल रहता है और शांति बनाये रखने और स्वतंत्रता को आगे बढ़ाने के लिए एक निष्प्रभावी अंग सिद्ध होता है, तो यह बहुत ही दुःखद होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह महान संगठन जिस पर विश्व की आशा लगी हुई है, अपनी पुरानी प्रतिष्ठा स्थापित करेगा और अपने उद्देश्य के अनुरूप शांति और स्वतंत्रता का स्तम्भ बन जायेगा।

हमारी सरकार ने हमारे महान पड़ोसी देश चीन में एक सांस्कृतिक शिष्टमंडल भेजा है। यह शिष्टमंडल चीन के लोगों के प्रति हमारे देश के लोगों की शुभकामनाएं और सौहार्दपूर्ण संदेश लेकर गया है। मैं चीन की सरकार और लोगों द्वारा किए गए सौहार्दपूर्ण स्वागत के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

मुझे खेद है कि दक्षिण अफ्रीका संघ की सरकार की रंगभेद की नीति जारी है और इससे गंभीर परिणाम सामने आये हैं। हमारे देश के लोग इस नीति के प्रति बहुत चिन्तित हैं, क्योंकि भारतीय मूल के अनेक लोग दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं। परन्तु यह प्रश्न दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले केवल भारतीयों का ही नहीं है बल्कि यह प्रश्न पहले ही व्यापक महत्व का हो गया है। यह जातीय प्रभुत्व और जातीय असहिष्णुता का प्रश्न है। यह अफ्रीकी लोगों का और उससे अधिक दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों के भविष्य का प्रश्न है। इसके और इस जैसे अन्य प्रश्नों के हल करने में विलम्ब करना मानवता के साथ एक मजाक है। मुझे खुशी है कि पूरे अफ्रीका में अफ्रीकी लोगों और भारतीय प्रवासियों के बीच मित्रतापूर्ण संबंध है। हमारी इच्छा अफ्रीका के लोगों के विकास में हस्तक्षेप न करके अपनी पूरी योग्यता के अनुसार उनकी सहायता करना है।

मुझे यह भी खेद है कि बड़ी संख्या में भारतीय लोग जो काफी समय से सीलोन* के निवासी हैं, को मताधिकार से वंचित रखा गया है। वे भी उस देश के अन्य नागरिकों की भांति अपने को सीलोन नागरिक मानते हैं। हमारे देश के सीलोन से संबंध हजारों वर्ष पुराने हैं और सीलोन और वहां के नागरिकों के साथ हमारे संबंध अत्यन्त मित्रतापूर्ण रहे हैं। हमने उसकी स्वतंत्रता का स्वागत किया था और आशा की थी कि

*अब श्रीलंका के नाम से जाना जाता है।

उस देश के लोग स्वतंत्र नागरिकों की भांति हर क्षेत्र में प्रगति करेंगें। परन्तु काफी संख्या में नागरिकों को उनके नैसर्गिक अधिकारों से वंचित रखने से सही मायनों में प्रगति नहीं होगी। इससे गम्भीर समस्यायें और पेचीदगियां उत्पन्न हो जायेंगी जैसाकि अतीत में भी होता रहा है।

अतीत में हमें खाद्यान्नों की गम्भीर कमी का सामना करना पड़ा था और हमें बड़ी मात्रा में इनका आयात करना पड़ा था। इसके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने हमारी बहुत सहायता की थी और हमें उस उदार सहायता के लिए उस महान देश का आभारी होना चाहिए। हाल के इतिहास में पहली बार हमारे पास (चावल को छोड़कर) खाद्यान्नों का अपार भण्डार है और हम बड़ी मात्रा में इनका आरक्षण कर रहे हैं जो भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर हमारे काम आएगा। यह स्वागत योग्य है। परन्तु देश के बड़े भाग में वर्षा न होने से वहां के लोगों के लिए कठिन स्थिति उत्पन्न हो गई है। लगातार पांच मौसमों में दुर्भाग्यवश रायलसीमा में सूखा पड़ रहा है और उसकी सर्वाधिक आवश्यकता जल है। हमारी सेना कुंओं को गहरा करके और पानी निकालकर और अन्य तरीकों से लोगों की सहायता के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। सूखा प्रभावित और कमी वाले इन बड़े क्षेत्रों में लोगों को रोजगार दिलाने के लिए अनेक लघु परियोजनायें चलायी गई हैं और सस्ते अनाज की दुकानें खोली गई हैं। जहां कहीं भी आवश्यक है, नि:शुल्क अनाज दिया जाता है।

आयातित खाद्यान्नों की लागत अधिक होने के कारण उनके मूल्यों में वृद्धि हुई है। खाद्य राजसहायता में कमी किये जाने से भी यह मूल्यवृद्धि हुई है और इससे राशन वाले क्षेत्रों में कुछ निराशा और असन्तोष पैदा हुआ है। मूल्यों में सामान्य रूप से आई गिरावट से आंशिक रूप से इस मूल्यवृद्धि को कुछ हद तक कम किया जा सका है। खाद्य राजसहायता को सीमित किये जाने से विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपनी आवश्यकता के खाद्यान्नों के आयात का अनुमान अधिक यथार्थपूर्वक तरीके से लगाया गया है और इससे विभिन्न राज्यों द्वारा खाद्यान्नों की मांग में कमी आई है जिसका प्रभाव उनके आयात पर भी पड़ा है। नि:संदेह इसका वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए फायदा है। खाद्य राजसहायता से बचत की गई धनराशि को लघु सिंचाई योजनाओं पर खर्च किया गया है जिससे भविष्य में अधिक खाद्यान्न उगाये जा सकेंगे और इस प्रकार हमें अपनी खाद्य समस्या हल करने में सहायता मिलेगी। हमारी सरकार इन मामलों पर अत्यधिक ध्यान दे रही है। इसे तत्काल भावी लाभों के साथ संतुलित किया जाना है। साथ ही साथ सरकार इस बात के लिए उत्सुक है कि इससे कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होनी चाहिए और इसे रोकने के लिए सरकार अपनी पूरी शक्ति लगा देगी।

योजना आयोग पंचवर्षीय योजना संबंधी अपनी रिपोर्ट को इस समय अंतिम रूप दे रहा है। पूरे देश में 55 सामुदायिक परियोजनायें शुरू करने के प्रस्ताव द्वारा इस योजना में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जोड़ी गई है। ऐसा संयुक्त राज्य अमेरिका से अपनी तकनीकी सहयोग योजना के द्वारा सहायता प्रदान किये जाने से संभव हुआ है।

इन सामुदायिक परियोजनाओं से न केवल हमारे अनाज उत्पादन में वृद्धि होगी बल्कि इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे सम्पूर्ण सामुदायिक जीवन स्तर में सुधार होगा। यह आशा की जाती है कि इस कार्यक्रम का विस्तार होगा और भारत का एक बहुत बड़ा भाग इससे लाभान्वित होगा। परन्तु इसका विस्तार केवल तभी होगा जब इसमें लोगों को पूरा सहयोग प्राप्त होगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस मामले में जैसा कि योजना आयोग के अन्य प्रस्तावों के क्रियान्वयन में देखा गया है उनका पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा।

कृषि उत्पादन के लिए समेकित कार्यक्रम ने संतोषजनक प्रगति की है। पटसन का उत्पादन जो 1947-48 में 16.6 लाख गांठ था, काफी बढ़कर 1951-52 में 46.8 लाख गांठ हो गया। इसी अवधि में कपास का उत्पादन 24 लाख गांठ से बढ़कर 33 लाख गांठ से भी अधिक हो गया। खाद्यान्नों के उत्पादन में 14 लाख टन की वृद्धि हुई यद्यपि यह विभिन्न क्षेत्रों में पड़े सूखे से निष्फल हो गए हैं। चीनी का उत्पादन 1947-48 में 10.75 लाख टन से बढ़कर 1951-52 में 13.5 लाख टन हो गया। इस्पात, कोयला, सीमेन्ट और नमक के उत्पादन में भी वृद्धि हुई। भारत इस समय नमक के उत्पादन में आत्मनिर्भर है और अपने फालतू नमक का निर्यात करने की स्थिति में है। सौराष्ट्र में केन्द्रीय नमक अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की जा रही है।

देश की सामान्य आर्थिक स्थिति का मेरी सरकार ने हमेशा ध्यान रखा है। संसद में अपने पिछले अभिभाषण के दौरान मैंने थोक मूल्यों में कुछ गिरावट का उल्लेख किया था। फरवरी और मार्च के महीनों में इस प्रवृत्ति में और तेजी आई। अंशतः इसका एक कारण सम्पूर्ण विश्व में मूल्यों का पुनः समायोजन था। यह प्रक्रिया 1950 में प्रारम्भ हुई थी लेकिन अब कोरिया युद्ध छिड़ जाने से इसे झटका लगा। लेकिन कोरिया में युद्ध-विराम की संभावना को देखते हुए समायोजन की इस प्रक्रिया को गति मिली। देश में वस्तुओं के बढ़ते उत्पादन तथा बढ़ती हुई कीमतों का उपभोक्ताओं द्वारा मुकाबला करने के सामर्थ्य से इसमें मदद मिली है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से मेरी सरकार द्वारा बनाई गई वित्तीय और ऋण नीति ने भी मूल्यों में गिरावट में योगदान दिया है। मूल्य स्तर में तेजी से गिरावट से व्यापार और उद्योगों विशेषतः वस्त्र उद्योग में लगे लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इससे हमारे निर्यात में भी गिरावट आई है। मेरी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसका उत्पादन और रोजगार पर प्रभाव न पड़े तथा वह कुछ ऐसे कदम उठाना चाहते हैं, स्थिति पर पूर्ण ध्यान दे रही है जिससे मूल्यों को एक उचित स्तर पर स्थिर रखने में सहायता मिले।

मुझे प्रसन्नता है कि एक नया उत्पादन मंत्रालय बनाया गया है। राज्य संचालित उद्योगों के उत्पादन का भी अत्यधिक महत्व है और इस उद्देश्य से नए मंत्रालय के सृजन से यह पता चलता है कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

पिछले वर्ष सरकार द्वारा संसद को एक आश्वासन दिया गया था कि प्रेस से संबंधित विभिन्न मामलों पर विचार करने के लिए एक प्रेस आयोग नियुक्त किया जाएगा। मेरी सरकार निकट भविष्य में ऐसा आयोग बनाने की आशा करती है। प्रेस विधि जांच समिति की सिफारिशों के अनुरूप संसद के समक्ष एक विधेयक लाने का भी प्रस्ताव है।

संसद का यह सत्र मुख्यत: बजट से संबंधित है और इसमें संभवत: अन्य विधानों के लिए अधिक समय नहीं होगा। वित्त वर्ष 1952-53 के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और खर्च का विवरण आपके समक्ष रखा जाएगा। लोक सभा के सदस्यों को अनुदानों की मांगों पर विचार करना होगा तथा उन्हें स्वीकार करना होगा।

अनंतिम संसद के पिछले सत्र के बाद सौराष्ट्र पत्तन विकास शुल्क (स्थानीय समुद्र सीमा शुल्क को समाप्त करना और पत्तन विकास शुल्क लगाना) के निरसन के संबंध में एक अध्यादेश लागू करना आवश्यक हो गया। यह अध्यादेश आपके सम्मुख एक नए विधेयक के रूप में लाया जाएगा और आपसे इस पर विचार करने और इसे पारित करने के लिए कहा जाएगा। विस्थापित व्यक्ति (दावे) अधिनियम, 1950 के विस्तार के उद्देश्य से एक अन्य अध्यादेश जारी किया गया था। अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए भी एक विधेयक आपके समक्ष रखा जाएगा।

अनंतिम संसद में पुर:स्थापित किए गए अनेक विधेयक अब व्यापक हैं। इनमें से कुछ जैसे-जैसे समय मिलेगा आपके समक्ष रखे जायेंगे। नजरबंदी निवाश्रण से संबंधित एक विधेयक भी संसद में लाने का प्रस्ताव है।

अनंतिम संसद द्वारा चर्चित अनेक विधेयकों में से एक विधेयक जिस पर विस्तार से चर्चा की गई, हिन्दू कोड बिल भी था। यह भी अन्य निलंबित विधेयकों के समान पारित न हो सका और व्यापक हो गया। इस विषय पर मेरी सरकार एक नया विधान लाना चाहती है। तथापि विधेयक को कुछ भागों में बांटने और प्रत्येक भाग को अलग से संसद के समक्ष रखने का प्रस्ताव है ताकि इस पर चर्चा करने और इसे पारित करने में सुविधा हो सके।

मैंने उन कार्यों के बारे में आपको बताने का प्रयास किया जो संसद के सत्र में आपके समक्ष रखे जायेंगे। मुझे विश्वास है कि आपका श्रम हमारी जनता के लिए हितकर होगा और भारत गणतंत्र राज्य की यह नई संसद मैत्रीपूर्ण-सहयोग और कार्य-कुशलता का एक उदाहरण प्रस्तुत करेगी। आपकी सफलता आपकी सहनशीलता पर जो आपके कार्य-कलापों को नियंत्रित करती है तथा आपके विवेक पर जो आपके प्रयासों को प्रेरित करता है, पर निर्भर करेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह विवेक और सहनशीलता हमेशा आप में कायम रहेगी।